भारत सरकार
पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2179 जिसका उत्तर
शुक्रवार, 12 दिसंबर, 2025/21 अग्रहायण, 1947 (शक) को दिया जाना है

गोदावरी नदी पर राष्ट्रीय जलमार्ग-4

† 2179. डॉ. दग्गुबाती पुरंदेश्वरी :

क्या **पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) अंतर्देशीय जल परिवहन (आईडब्ल्यूटी) के विकास हेतु राष्ट्रीय नीति तथा राष्ट्रीय जलमार्गों की स्थिति क्या है;
(ख) गोदावरी नदी पर राष्ट्रीय जलमार्ग-4 (एनडब्ल्यू-4) की वर्तमान स्थिति क्या है;
(ग) आंध्र प्रदेश में राजमुंदरी से समुद्र के जरिए गोदावरी खंड पर ड्रेजिंग कार्य, नौवहन सहायक उपकरणों की स्थापना और टर्मिनलों के निर्माण की प्रगति का ब्यौरा क्या है;
(घ) गत वर्ष के दौरान राष्ट्रीय जलमार्ग-4 पर ले जाए गए माल (जैसे कोयला, उर्वरक, खाद्यान्न) की मात्रा कितनी है; और
(ङ) आंध्र प्रदेश में सड़कों पर भार कम करने के लिए राजमुंदरी से रो-रो फेरी सेवाओं और माल ढुलाई को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर
पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री
(श्री सर्बानंद सोणोवाल)

(क): सरकार ने राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम, 2016 के अनुसार 111 जलमार्गों को राष्ट्रीय जलमार्ग (एनडब्ल्यू) घोषित किया है। भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण (आईडब्ल्यूएआई), पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के अधीन एक स्वायत संगठन है, जो संबंधित राज्य से प्राप्त प्रस्ताव के आधार पर व्यवहार्य राष्ट्रीय जलमार्ग की तकनीकी-आर्थिक व्यवहार्यता एवं विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार करता है और डीपीआर के अनुसार मालवाहक/ यात्री आवाजाही के लिए इन राष्ट्रीय जलमार्गों के विकास के लिए समुचित कार्रवाई करता है। वर्तमान में मालवाहक/ यात्री आवाजाही के लिए 32 राष्ट्रीय जलमार्ग परिचालन में हैं। प्रचालनरत राष्ट्रीय जलमार्ग का ब्यौरा **अनुबंध-I** में दिया गया है।

(ख): गोदावरी नदी (राष्ट्रीय जलमार्ग-4 का घटक) का विकास आंध्र प्रदेश, छतीसगढ़ और महाराष्ट्र के कुछ चुनिंदा व्यवहार्य स्थानों पर इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए किया जा रहा है कि यहाँ नौचालन लॉक्स के बिना 3 वीअर, 21 बैरेज, 5 बांध, 14 चेक डैम्स की मौजूदगी चुनौतियों के रूप में हैं, जो जलयानों की आवाजाही में बाधा उत्पन्न कर रही है।

(ग): राजमुन्द्री (डॉवलेश्वरम बैराज) से समुद्र में संगम तक गोदावरी नदी के विस्तार क्षेत्र को राष्ट्रीय जलमार्ग-4 के भाग के रूप में घोषित नहीं किया गया है। इसलिए, आज की स्थिति के अनुसार गोदावरी नदी जलखंड के इस विस्तार में किसी भी प्रकार की ड्रेजिंग की परिकल्पना नहीं की गई है।

(घ): वर्ष 2024-25 में राष्ट्रीय जलमार्ग-4 पर मालवाहकों की आवाजाही 10.40 मिलियन मीट्रिक टन थी।

(ङ): राष्ट्रीय जलमार्ग-4 के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) का अद्यतन कार्य चल रहा है और विस्तृत परियोजना रिपोर्ट के निष्कर्षों के आधार पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

अनुबंध -I

दिनांक 30.11.2025 की स्थिति के अनुसार चालू राष्ट्रीय जलमार्ग		
क्र.सं.	**रा.ज. सं.**	**राष्ट्रीय जलमार्ग की सीमाएं**
1	रा.ज.-1	गंगा-भागीरथी-हुगली नदी प्रणाली (हल्दिया-इलाहाबाद)
2	रा.ज.-2	ब्रह्मपुत्र नदी (धुबरी-सदिया)
3	रा.ज.-3	पश्चिमी तट नहर
4	रा.ज.-4	कृष्णा गोदावरी नदी प्रणाली
5	रा.ज.-5	पूर्वी तट नहर और मताई नदी/ब्राह्मणी-खरसुआ-धामरा नदियाँ/महानदी डेल्टा नदियाँ
6	रा.ज.-8	अलाप्पुझा-चंगनास्सेरी नहर
7	रा.ज.-9	अलाप्पुझा-कोट्टायम-अथिरामपुझा नहर
8	रा.ज.-14	बैतरनी नदी
9	रा.ज.-16	बराक नदी
10	रा.ज.-23	बूढ़ा बलंगा
11	रा.ज.-31	धनसिरी/चाथे
12	रा.ज.-44	इछामती नदी
13	रा.ज.-48	कच्छ नदी का जवाई-लूनी-रण
14	रा.ज.-53	(कल्याण-ठाणे-मुंबई जलमार्ग, वसई क्रीक और उल्हास नदी)
15	रा.ज.-64	महानदी नदी
16	रा.ज.-86	रूपनारायण नदी
17	रा.ज.-94	सोन नदी
18	रा.ज.-97	सुंदरबन जलमार्ग
19	रा.ज.-10	अम्बा नदी
20	रा.ज.-83	राजपुरी क्रीक
21	रा.ज.-85	रेवदंडा क्रीक-कुंडलिका नदी प्रणाली
22	रा.ज.-91	शास्त्री नदी - जयगढ़ क्रीक प्रणाली
23	रा.ज.-68	मांडोवी नदी
24	रा.ज.-111	जुआरी नदी
25	रा.ज.-73	नर्मदा नदी
26	रा.ज.-100	तापी नदी
27	रा.ज.-27	कम्बरजुआ नदी
28	रा.ज.-47	जलंगी नदी
29	रा.ज.-87	साबरमती नदी
30	रा.ज.-57	कोपिली नदी
31	रा.ज.-110	यमुना नदी
32	रा.ज.-40	घाघरा नदी

*****